17/5/18

पत्रावली मय नाम अवलोकन द्वारा कैथल चौहट्टा में पेश हुई। रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया मामला, प्रार्थिका का निकाला तथा अन्य उचित आधार के पश्चात के तौर के मद्देनजर दिनांक 12-5-2017 से जारी अन्तरिम आदेश निरस्त के आदेश को इस वाद तक बरकरार रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner